न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –जीतेन्द्र सिंह नरुका

प्रार्थना पत्र संख्या 61 / 2022 तारीख रजू 12.10.2022

सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूँगर।

.....प्रार्थी

बनाम

रामकरण पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी फलसावटा तह0 मलारना डूंगर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थिति – 1. पेरोकार राजस्व

2. श्री शिवचरण सोनी एड0(वकील अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र धारा 17(अ) आवंटन नियम राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1968 के तहत दिनांक 05.06.1973 के आवंटन खसरा नम्बर 2042/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 को निरस्त किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांक 12/1/24

तहसीलदार मलारना डूंगर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(अ) राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1968 के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 के विरूद्व प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा अप्रार्थी रामकरण मीना पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूंगर को खसरा नं0 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूँगर दिनांक 05.06.1973 को आवंटन किया गया था।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्राथीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार राजस्व ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि आवंटन आदेश बाबत खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम फलसावटा दिनांक 05.06.1973 नियम विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आवंटन के समय

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भूमि खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 राजस्व रिकार्ड मे चरागाह किस्म की दर्ज थी जो आवंटन किये जाने योग्य नहीं थी, पटवारी हल्का द्वारा भी भूमि की किस्म चरागाह दिखाई गयी है फिर भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश कर नियम विरूद्व अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। यह है कि पटवारी हल्का फलसावटा व आईएलआर म0 डूंगर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबे आराजी पर कब्जा नहीं है अतः आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटी ने उक्त विवादित भूमि पर काश्त नहीं की है ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में पेरोकार राजस्व द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आवंटित भूमि उनके पक्षकार रामकरण पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी फलसावटा तह0 मलारना डूँगर को आवंटन सलाहकार समिति की राय पर आराजी खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूँगर आवंटन की गयी थी। वकील अप्रार्थी ने सम्वत 2071 से 2074 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत कर आवंटन के समय से ही उक्त आराजी पर उनके पक्षकार का कब्जा काश्त होना बतलाया।अपनी बहस के अंत में उन्होंने तर्क दिया की आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो द्वारा सही रूप से उक्त भूमि को हमको आवंटन किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अडचन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील उभय पक्ष द्वारा दी गयी दलीलों से मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 किस्म चरागाह दिनांक 05.06.1973 को अप्रार्थी रामकरण पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूँगर को आवंटित की गयी थी। वकील पेरोकार राजस्व द्वारा बहस में कथन किया गया है कि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूँगर वरवक्त आवंटन चरागाह भूमि थी एवं चरागाह भूमि को आवंटन नहीं किया जा सकता क्योंकि चरागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि उक्त आवंटित भूमि आवंटन दिनांक से हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा हम ही उक्त भूमि पर काबिले काश्त है और आवंटित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने बावत खसरा गिरदावरी सम्वत 2071 से 2074

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तथा पंचनामा वाके ग्राम फलसावटा प्रस्तुत किया है परंतु तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 4201 दिनांक 12.09.2022 तथा अद्यतन फर्द मौका रिपोर्ट क्रमांक/एलआर/24/249 दिनांक 15.01.2024 के अनुसार आवंटनशुदा आराजी खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व खसरा नं0 2042 रकबा 0.87 है0 पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होना अंकित किया है जिससे यह साबित होता है कि उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। अतः आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। उक्त आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूँगर वरवक्त आवंटन चरागाह भूमि थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार खातेदारी दिये जाने योग्य नहीं है। अतः समस्त दस्तावेजात एवं वकील उभय पक्षो की दलील सुनने के पश्चात तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 17 (अ) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 17 (क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी रामकरण पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूँगर को आराजी खसरा नम्बर 2040/2838 रकबा 0.14 है0 व 2042 रकबा 0.87 है0 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम फलसावटा तह0 मलारना डूँगर में किया गया आवंटन आदेश खारिज किया जाता है। तहसीलदार मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि को चरागाह दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 19/01/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरुका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर